



भारतीय उच्चायोग
कुआलालम्पुर

मलेशिया में अवैध प्रवासियों के लिए एमनेस्टी कार्यक्रम

मलेशिया के गृह मंत्रालय ने तय समयावधि से अधिक समय तक या बिना वैध पास/ परमिट के मलेशिया में रहने वाले विदेशी नागरिकों को अपने देश लौटने के लिए "बैक फॉर गुड प्रोग्राम" नामक एक एमनेस्टी कार्यक्रम की घोषणा की है। यह योजना 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2019 तक प्रभावी है। कार्यक्रम की मूल विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- यह कार्यक्रम मलेशिया के आव्रजन विभाग (इमीग्रेशन) द्वारा समन्वित है।
- विदेशियों के पास वैध यात्रा दस्तावेज होने चाहिए अर्थात् पासपोर्ट / आपातकालीन प्रमाण पत्र।
- विदेशियों को अपने देश लौटने के लिए 7 दिनों के अंदर का टिकट होना चाहिए ।
- RM700 (सात सौ रिंगित) का कुल भुगतान किया जाना है।
- कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:-

https://www.imi.gov.my/images/fail_pengumuman/2019/7_Jul/faq-eng.pdf

इस कार्यक्रम के तहत आने वाले पात्र भारतीय नागरिक उपरोक्त लिंक में दिए गए विभिन्न आव्रजन (इमीग्रेशन) कार्यालयों के साथ पंजीकरण कर सकते हैं।

वे भारतीय नागरिक जिनके पास वैध यात्रा दस्तावेज नहीं हैं, वे भारतीय उच्चायोग की आउटसोर्स एजेंसी **M/s. बीएलएस इंटरनेशनल लिमिटेड**, लेवल 4, विस्मा तानकॉम, 326-328 जालान तुआंकू अब्दुल रहमान, कुआलालम्पुर 50100, [टेलीफोन नं। 0326022474 और 0326022476]। (BLS International Limited, Level 4, Wisma Tancom, 326-328, jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100, Kuala Lumpur (Tel No. 03-26022474/03-26022476), में इमरजेंसी सर्टिफिकेट (ईसी) के लिए आवेदन कर सकते हैं।

भारतीय उच्चायोग, कुआलालम्पुर आग्रह करता है कि किसी भी कारण से मलेशिया में, तय समयावधि से अधिक समय तक या बिना वैध पास/ परमिट के रह रहे सभी भारतीय नागरिक इस योजना का लाभ उठाए और भारत वापिस लौट जाए।

भारतीय उच्चायोग, कुआलालम्पुर

1 अगस्त 2019